जवाब दो!!!
सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल
S-1,सेकंड फ्लोर,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड़,जनरल सगत सिंह मार्ग,वैशालीनगर,पिन:-302012
E-mail:-jawabdosarkar01@gmail.com ,Web-Site:-jawabdosarkar.com,Mobile:-9828346151

समाचार पत्र द्वारा उठाये गए मुद्दे/समस्या के निराकरण हेतु प्रस्तुत

लोक प्रसंज्ञान पत्र

प्रेषति,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार

विषय:-दिनांक 02/09/2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक **"कैमरे में दिखी चोरी, पुलिस बोली गुमशुदगी"** के सम्बन्ध में|
सन्दर्भ:-समाचार पत्रों में प्रकाशित जन-हित ख़बरों पर सरकारी तंत्र की जवाबदेही एवं संवेदनशीलता|

संक्षिप्त विवरण:-

राज्य के प्रमुख समाचारपत्र ने लोकतंत्र के सजग प्रहरी और चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए, प्रकाशित उक्त खबर के माध्यम शासन/अभिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार/लालफीताशाही/मिलीभगत/अव्यवस्था/संवेदनहीनता/आपसी विवाद/मानवाधिकार हनन/राजकोष को हानि का प्रकरण उजागर कर, शासन/अभिकरण की कार्यशैली पर सवाल खड़े किये है,जिससे न केवल आम जन में शासन/अभिकरण की छवि धूमिल हुई है वरन वर्तमान शासन व्यवस्था के प्रति रोष भी उत्पन्न हुआ है|आम जन में संवेदनशील,जवाबदेह और पारदर्शी शासन की अवधारणा प्रबल हो,शासन के प्रति विश्वास दृढ हो तथा समस्याओं का त्वरित गति से समाधान हो,इसके लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा इस खबर की वास्तविक वस्तुस्थिति एवं प्रतिक्रिया से आमजन को अवगत करवाया जाएँ|

प्रस्तुत प्रसंज्ञान का उद्देश्य:-

इस प्रसंज्ञान द्वारा हमारा प्रयास,इस प्रकार की व्यापक जनहित और संवेदनशील खबरों पर सरकार द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही से आम जन को अवगत करवाना है साथ ही साथ कई बार प्रकाशित असत्य,भ्रामक तथा तथ्यों से परे खबरों को भी आमजन के सामने उजागर करना है जिससे आम जन में शासन/अभिकरण की छवि खराब ना होवें|

चाहा गया अनुतोष:-

1. राजस्थान सरकार द्वारा जारी **आदेश क्रमांक:निस/सूजस/2012/3375-434 दिनांक 12/03/2012** के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित जन हित/नकारात्मक और आलोचनात्मक ख़बरों की वस्तुस्थिति और सरकार की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में **पूर्ण एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट** आम जन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है|अतः कृपया मामले की पूर्ण एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं|

2. यही उक्त खबर में वर्णित तथ्य ठोस और प्रामाणिक है तो अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए सम्बंधित दोषी लोक सेवकों/व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध सम्बंधित प्रभावी कानूनों के अंतरगर्त उचित और त्वरित कार्यवाही करते हुए, सम्बंधित प्रकरण का उचित निस्तारण कर सूचित करने की कृपा करें| जिससे आम जन में शासन के प्रति विश्वास कायम हो सके|
3. यदि प्रारंभिक जाँच से उक्त खबर आपको असत्य/गलत/ भ्रामक या मिथ्या प्रतीत होती है या आप उक्त खबर से सहमत नहीं है और लगता है कि किसी प्रकार की कार्यवाही वांछित नहीं है तो इसी अनुरूप सम्बंधित दस्तावेजों सहित अपने पक्ष से हमें तथा सम्बंधित समाचार पत्र को अवगत करावें जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की भ्रामक या मिथ्या खबरों के प्रकाशन से आम जन में सरकार की छवि खराब ना होवें|
4. यदि उपरोक्त परिवाद में किसी प्रकार की जांच लंबित हो तो जांच रिपोर्ट आने तक परिवाद को लंबित रखा जाए|महज जांच के आदेश देने मात्र से ही परिवाद को बंद नही किया जाए|

<u>आवश्यक एवं ध्यान योग्य बिंदु:-</u>

1. इस संज्ञान पत्र की प्राप्ति के पश्च्यात उक्त सम्पूर्ण प्रकरण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी में है|जिसके लिए भविष्य में किसी भी उत्तरदायित्व के लिए नकारा नहीं जा सकता है|
2. कृपया परिवाद के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि का अवश्य ध्यान रखें|
3. यदि उपरोक्त परिवाद राज्य सरकार/केंद्र सरकार या अन्य किसी विभाग से सम्बंधित हो तो तत्काल एवं आवश्यक रूप से राज्य सरकार/केंद्र सरकार/अन्य विभाग को हस्तांतरित कर मुझ प्रार्थी को अवगत करवाया जाए|
4. परिवाद के पूर्ण निस्तारण को प्रमाणित करने हेतु आवश्यक दस्तावेज अवश्य संलग्न किये जाए|
5. जानबूझ कर परिवाद को लंबित रखने/दोषपूर्ण जांच करने पर प्रार्थी सक्षम स्तर/न्यायालय/आयोग में जाने हेतु स्वतंत्र होगा|
6. उक्त परिवाद समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आधार पर है,उक्त प्रकाशित खबर में प्रस्तुत किये गए तथ्यों/सबूतों/दस्तावेजों/बयानों के लिए प्रार्थी उत्तरदायी नहीं है और ना ही प्रार्थी का इस प्रकशित खबर से संबधित किसी व्यक्ति/संस्थान/कम्पनी/जाति/धर्म/संप्रदाय विशेष से किसी प्रकार का कोई लेना देना या सम्बन्ध है|यह परिवाद केवल अव्यवस्थाओं के विरुद्ध संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, देश के एक जागरूक एवं शिक्षित नागरिक होने के नाते किया गया है|
7. इस परिवाद के सम्बन्ध में दिया गए विभाग के पक्ष/प्रतिउत्तर/निष्कर्ष को हमारी वेबसाइट www.jawabdosarkar.com पर प्रदर्शित किये जायेंगे जिसके आधार पर आम जन/विषय विशेषज्ञों के सहयोग से विभाग की गुणात्मक संवेदनशीलता,जवाबदेही,पारदर्शिता का निर्धारण/मूल्यांकन किया जा सकेगा|

||धन्यवाद||

चीफ एडिटर

www.jawabdosarkar.com

ज्ञानेश कुमार

9828346151

संलग्न:- सम्बंधित समाचार में प्रकाशित समाचार की प्रति|

उनको टक्कर मार दी।

कैमरे में दिखी चोरी, पुलिस बोली गुमशुदगी

जयपुर @ पत्रिका. शहर में लगातार चोरियां बढ़ रही हैं और पुलिस चोरों को पकड़ने की बजाय पीड़ितों को टरकाने में लगी है। ऐसा ही मामला प्रताप नगर थाना क्षेत्र में आया है।

जगतपुरा के पुरुषार्थ नगर निवासी धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि 30 अगस्त को वह कमरे से निकलकर बाथरूम में नहाने गया। इसी दौरान एक युवक साइकिल पर आया और कमरे में घुसकर मोबाइल, पर्स सहित अन्य सामान ले गया। पर्स में दस्तावेज व 3 हजार रुपए रखे थे। चोरी करने वाला युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित का आरोप है कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस कर्मियों ने बाद में एफआइआर की कॉपी ले जाने के लिए कहा। एफआइआर लेने सोमवार को पहुंचा तो पुलिस कर्मियों ने एफआइआर की मना कर गुमशुदगी की रिपोर्ट देने को कहा।

चोरी हुई है तो मामला चोरी में ही दर्ज होगा, थाना पुलिस से जानकारी लेता हूं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की। - नेमीचंद खारिया, एसीपी सांगानेर

दो!!!
awabdosarkar.com
पहला जवाबदेही पोर्टल